



असहमती का अधिकार

असहमती को समझना (Understanding Dissent):

- असहमती से तात्पर्य एक गैर-समझौतावादी दर्शन या मनोभाव अथवा किसी प्रचलित विचार (जैसे- सरकार की नीतियों) या किसी सत्ता/संस्था (जैसे- एक व्यक्त या राजनीतिक दल जो इस तरह की नीतियों का समर्थन करता/करती है) के प्रति विरोध प्रकट करने से है।
- कुछ राजनीतिक प्रणालियों में असहमती को औपचारिक रूप से राजनीतिक प्रतिरोध के माध्यम के रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि दमनकारी राजनीतिक शासन व्यवस्था द्वारा किसी भी प्रकार की असहमती को प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जा सकता है। इससे अंततः असहमती का दमन और सामाजिक या राजनीतिक सक्रियता (विरोध-प्रदर्शन) को बढ़ावा मिल सकता है।
- असहमती को प्रायः दो अन्य अवधारणाओं समालोचनात्मक चिंतन (Critical Thinking) और सहिष्णुता से भी जोड़कर देखा जाता है।
- असहमती, प्रभावी तर्क-वितर्क का एक शक्तिशाली स्रोत है जो स्वयंसेवक किसी राज्य/राष्ट्र की संस्थाओं अथवा उसकी कार्यवाहियों के साथ ही किसी समाज के रीति-रिवाज एवं प्रथाओं की वैधता को निर्धारित करने के लिये आवश्यक होता है।
- धार्मिक प्रथाओं को लेकर व्यक्त असहमती के प्रति सहिष्णुता किसी राज्य के भीतर समावेशन और सहमती के दायरे का विस्तार करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है।

असहमती के अधिकार का महत्त्व:

- **लोकतंत्र की आधारशिला:** लोकतंत्र को शासन के सर्वोच्च स्वीकार्य पद्धति के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह एक नागरिक को पीड़ित होने के भय के बिना असहमती प्रकट करने का अधिकार प्रदान करता है (जब तक ऐसी असहमती किसी अमानवीय या असंवैधानिक कार्यवाही का कारण नहीं बनती)। असहमती का अधिकार संविधान में नरिदषि्ट वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आता है।
 - लोकतंत्र में असहमती के महत्त्व को रेखांकित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि "असहमती वस्तुतः लोकतंत्र का सुरक्षा वाल्व है।"
 - विरोध प्रदर्शन किसी भी प्रगतिशील लोकतंत्र के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। उल्लेखनीय है कि गांधीजी, नेल्सन मंडेला तथा मार्टिन लूथर किंग के शांतिपूर्ण प्रतिरोध ने इन देशों के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने में आमूल-चूल परिवर्तन लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **एक मौलिक मानवीय गुण के रूप में असहमती:** एक दूसरे से असहमत होना एक मूलभूत मानवीय गुण है। कई दार्शनिकों ने यह तर्क दिया है कि एक बालक सार्थक रूप से स्वयं की भावना को तभी ग्रहण करता है जब उसमें मैं और मेरा की अवधारणा का बोध होता है। इसके अलावा जब वह पहली बार नहीं कहना प्रारंभ करता है तब इसे उसके आत्मविकास के अधिकारों के विकास के तौर पर देख जाया जाता है।
 - इसके अतिरिक्त जसि रूप में हमारा समाज और राष्ट्र असहमती को ग्रहण करता है, उससे हमें एक सशक्त पहचान प्राप्त होती है।
- **असहमती से ज्ञान का सृजन:** असहमती नवीन ज्ञान और नई समझ के सृजन का मार्ग प्रशस्त करती है। विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुई प्रगति असहमती के बिना संभव नहीं होती। क्योंकि इस क्षेत्र में हुआ विकास वस्तुतः दूसरे के विचारों में दोष ढूँढने से ही संभव हो सका। इससे अंततः नवीन ज्ञान का विकास हुआ। इसलिये बुद्ध और महावीर के बारे में कहा जाता है कि वे पहले भिन्न मतवालों (Dissenters) थे और उसके बाद दार्शनिक थे।

असहमती के अधिकार से संबंधित विभिन्न न्यायिक नरिणय:

- **मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद (1978):** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि सूचना एकत्र करना तथा न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी अपने विचारों का विनिमय करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है।
- **श्रेया सधिल बनाम भारत संघ वाद (2015):** यह एक ऐतिहासिक नरिणय था, जसिमें आईटी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ऐसा आधारभूत मूल्य है जो हमारी संवैधानिक योजना के तहत सर्वोपरि है।

असहमती के अधिकार की सुरक्षा:

- **वधिकि संरचना में सुधार:** सरकार को उन सभी वधियों की समीक्षा करने के लिये एक स्वतंत्र आयोग का गठन करना चाहिये जो वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते हुए उन्हें अपराध की श्रेणी के अंतर्गत लाते हैं।
- इसके अतिरिक्त ऐसी वधियों/कानूनों को नरिस्त या संशोधित करने तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों और संधियों में भारत द्वारा व्यक्त दायित्वों के अनुरूप बनाने के लिये प्रयास करना चाहिये।
- **प्रशासनिक तंत्र को संवेदनशील बनाना:** सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये पुलिस को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है कि वह अनुचित और अपरासंगिक मामलों को दर्ज न करे। न्यायाधीशों (वशिष रूप से नचिली अदालतों के) को शांतपूरण अभिव्यक्तिमानकों के बारे में उन्नत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ताकि वे वाक् की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले मामलों को खारजि कर सकें।
- **संचार के मुक्त माध्यमों को उपलब्ध कराना** लोकतंत्र हेतु आवश्यक है। अवरुद्ध माध्यम और विकृत सूचना प्रवाह, शासति और शासक दोनों को गंभीर नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे में लोकतंत्र में सविलि सोसाइटी, गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये लोगों को तर्क-पूर्ण तरीके से असहमति प्रकट करने का मंच प्रदान करते हैं।

असहमतके संबंध में कुछ प्रसिद्ध कथन:

- “वज्जान के तर्कानुसार, हज़ारों व्यक्तियों पर शासन करने वाले प्राधिकरण का वचिर, एक अकेले व्यक्तके वनिमर् तर्क जतिना मूल्यवान नहीं होता।”- **गैलीलियो गैलिली**
- “मुझे सभी स्वतंत्रताओं से परे सूचित होने, बोलने और अपने अंतःकरण के अनुसार स्वतंत्र तर्क करने के लिये स्वतंत्रता दो।”- **जॉन मलिटन**
- “मानव को परमात्मा से जोड़ने वाला यदकि कुछ है तो वह अपने सिद्धांतों के साथ खड़े रहने का साहस है, भले ही सभी ने इसे अस्वीकार कर दिया हो।”-**अब्राहम लकिन**
- “अन्यायपूर्ण कानूनों की अवज्ञा करना व्यक्तकी नैतिक ज़िम्मेदारी है।”- **मार्टिनि लूथर कगि**
- “अपने सामाजिक परिवेश के पूरवाग्रहों से भिन्न सम्यक मत को अभिव्यक्त करने में बहुत कम लोग सक्षम होते हैं। अधिकांश लोग ऐसे मत सृजति करने में असमर्थ हैं।”- **अलबर्ट आइंस्टीन**
- “सरकार से प्रश्न पूछना प्रत्येक नागरिक का प्रथम दायित्व है।”- **बेंजामिन फ्रैंकलनि**
- “मौन तब कायरता बन जाता है जब अवरस संपूरण सत्य बोलने और उसके अनुसार कार्य करने की मांग करता है।”- **महात्मा गांधी**